

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 02/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.04.2025	-:आदेश:- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 02/2025 - 26 आवेदक मो० सुभान अंसारी, पिता- युसुफ मियाँ, साकिन- माधोपुर, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- पारहोडीह, थाना नं०- 143 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- ॥, पृष्ठ सं०- 13 पर (1) लालचन्द महतो एवं (2) खेमिया देवी वगैरह के नाम से एक ही पृष्ठ पर दोहरी जमाबंदी दर्ज है। उसमें लालचन्द महतो का जमाबंदी सही है तथा खेमिया देवी वगैरह का जमाबंदी गलत है। खेमिया देवी वगैरह का नाम भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- ॥, पृष्ठ सं०- 87 पर कायम है। उन्होंने भौतिक पंजी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- ॥, पृष्ठ सं०- 13 में से खेमिया देवी वगैरह के नाम से हटाने तथा खेमिया देवी वगैरह का ऑनलाईन पंजी- ॥ में अलग से नया जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा- पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- ॥ पृष्ठ सं०- 13 में कायम दोहरी जमाबंदी से खेमिया देवी वगैरह का नाम हटाने तथा खेमिया देवी वगैरह का ऑनलाईन पंजी- ॥ में अलग से नया जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में मौजा- पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- ॥ पृष्ठ सं०- 13 में कायम दोहरी जमाबंदी से खेमिया देवी वगैरह का नाम हटाने तथा खेमिया देवी वगैरह का ऑनलाईन पंजी- ॥ में अलग से नया जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेख्यपित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	